

समाचार-प्रकाशनार्थ :-

प्राचीन स्थलों को कचरा मुक्त रखने का संकल्प लिया
स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत गढकैलाश मंदिर के रहवासियों और शिवभक्तों ने लिया अपने क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प

रतलाम 18 दिसम्बर । स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाए जाने के प्रयासों में तेजी आ रही है। हर दिन शहर में कई स्थानों को कचरा मुक्त किया जा रहा है। इन कचरा मुक्त स्थानों पर सफाई मित्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। शुक्रवार को शहर के गढकैलाश मंदिर के रहवासियों और शिवभक्तों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने व स्वच्छता सर्वेक्षण में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का संकल्प लिया है। इस क्षेत्र में स्थित अमृतसागर तालाब और इसकी पाल के निकट वर्षों से जमे कचरा स्थल को हटाए जाने का काम निगम प्रशासन निरन्तर करते आ रहा है।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदान, मेरी शान, स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान शुक्रवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने गढकैलाश मंदिर परिसर सहित आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आह्वान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमें मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

कस्तुरबा नगर टंकी से सफलतापूर्वक प्रतिदिन किया जा रहा है पेयजल वितरण

रतलाम 18 दिसम्बर । 14 दिसम्बर सोमवार से कस्तुरबा नगर टंकी से प्रतिदिन पेयजल वितरण की शुरुआत विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप द्वारा किये जाने के बाद नगर निगम द्वारा टंकी के दोनो झोन के क्षेत्रों में 15, 16, 17 व 18 दिसम्बर को प्रातः 06:15 से 11:00 बजे के मध्य सफलतापूर्वक नियमित पेयजल वितरण किया गया।

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी गंदगी करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

तत्परता से स्पॉट फाईन नहीं करने वाले कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 18 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कंट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व मलबा फैलाने व अतिक्रमण करने पर जय के नमकीन जीपीओ रोड पर 250, हेमु भाई सैलाना बस स्टैण्ड पर 250 व नित्यानन्द ऑटो गैरेज जीपीओ रोड पर 100 रुपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

नगर में गंदगी, मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने वालो पर जुर्माना किये जाने हेतु नियुक्त कर्मचारी जो कि तत्परता से संबंधितों पर जुर्माना नहीं कर रहे हैं ऐसे कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी

नालो की सफाई का कार्य निरंतर जारी

रतलाम 18 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा 18 दिसम्बर शुक्रवार को चम्पा विहार, सुभाष नगर व त्रिलोक नगर वाले नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीन, डम्पर, व गैंग द्वारा करवाया गया।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 18 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्ता, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

चौमुखी पुल पर सोमवार से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 46,22,854/- संपत्तिकर व 14,65,775/- जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह रतलाम 18 दिसम्बर । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग-धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,224/- व जलकर 43,460/-, मालवा नगर शिविर में संपत्तिकर 3,66,429/- व जलकर 43,830/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 2,69,336/- व जलकर 41,850/-, विनोबा नगर पानी की टंकी के पास शिविर में संपत्तिकर 3,94,652/- व जलकर 1,06,050/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास शिविर में संपत्तिकर 4,54,616/- व जलकर 84,000/-, तिरुपति नगर में शिविर में संपत्तिकर 55,700/- व जलकर 14,800/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 65,133/- व जलकर 18,430/-, इन्द्रलोक नगर शिविर में संपत्तिकर 1,04,310/- व जलकर 37,520/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,63,070/- व जलकर 41,200/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 54,244/- व जलकर 31,700/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,87,800/- व जलकर 13,500/-, हाट रोड माताजी मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 89,439/- व जलकर 29,500/-, डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,23,843/- व जलकर 80,000/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 78,232/- व जलकर 24,800/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 95,424/- व जलकर 46,350/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 2,61,000/- व जलकर 45,500/-, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 2,58,000/- व जलकर 90,310/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,39,000/- व जलकर 1,58,845/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 94,633/- व जलकर 24,500/-, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,31,093/- व जलकर 68,580/-, महावीर नगर शिविर में जलकर 45,550/-, पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 5,91,492/- व जलकर 1,31,930/-, चौगानिया भेरू मंदिर शिविर में संपत्तिकर 1,71,109/- व जलकर 1,26,280/-, सायर चबुतरा शिक्षा विभाग के पास आयोजित शिविर में संपत्तिकर 1,55,000/- व जलकर 1,24,290/- की एक मुश्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 46,22,854/- संपत्तिकर व 14,65,775/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के तहत वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को शास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुश्त राशि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ

नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार शिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे शिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) से अधिक तथा रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक तथा रुपये 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार) से 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप इयूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त 57 दिनों में 90 वॉल्व व 410 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 18 दिसम्बर | शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 18 दिसम्बर तक 89 वॉल्व व 406 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 18 दिसम्बर शुक्रवार को जवाहर नगर मुख्य मार्ग, गौशाला रोड, मोहन नगर सखी मार्केट के पास, गौशाला उद्यान के पास

पाईप लाईन लीकेज दुरस्ती के साथ ही मोहन नगर वृद्धाआश्रम के पास वाल्व लीकेज को दुरस्त करवाया गया। इसके अलावा बरबड़ में माड्यलर टायलेट व शिवनगर शौचालय में पाईप फिटिंग का कार्य करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

स्वच्छंद विचरण करने वाले 432 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 18 दिसम्बर | रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 18 दिसम्बर तक 432 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 18 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 432 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 18 दिसम्बर शुक्रवार को नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 12 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।